

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - दावा फार्म**

(दावेदार और बैंक द्वारा पूरा किया जाना है)

1. योजना का नाम : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।  
2. पालिसी सं. :  
3. बैंक का पूरा नाम और पता :

---

4. मृतक सदस्य का पूरा नाम : बीमा कंपनी की आईडी:

5. सदस्य द्वारा योजना में प्रविष्टि की तिथि:

6. सदस्य की मृत्यु की तिथि :

7. क्या मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है : हां/नहीं,

यदि हां, तो दस्तावेजी प्रमाण जमा करें

8. नामिती का नाम \* :

---

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हर प्रकार से सही हैं। हम सदस्य की मृत्यु के प्रमाण के रूप में मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करते हैं।

\*नामिती के नाबालिग होने की स्थिति में, अभिभावक दावा फार्म भर सकता है।

(नामिती/दावेदार का हस्ताक्षर\*)

हम एतद्वारा द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सदस्य पीएमजेबीवाई योजना के अंतर्गत बीमित था और उसकी मृत्यु से पहले की नवीनीकरण तिथि तक उसके बैंक खाते से प्रीमियम नामे किया गया था और ..... (बीमा कंपनी का नाम) को भेज दिया गया था। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारे अभिलेखानुसार श्री/श्रीमती ..... उपरोक्त बीमित सदस्य का/की नामिति हैं।

स्थान \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मोहर

संलग्नक: मृत्यु प्रमाणपत्र, अदायगी फार्म, बीमा का प्रमाण-पत्र

दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में, एफआईआर, पीएमआर, पंचनामा भी जमा करना होगा।